

एकता केसरी

EKTA KESARI

Issue: 2 • Volume: 6 • Hindi Weekly • Mumbai, Friday 07 to 13 March 2025 • Price 5/- • Page 8

माफ नहीं करेगा महाराष्ट्र...

अबू आजमी के बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दी चेतावनी

मुंबई: औरंगजेब का स्तुति गान के आरोप में सपा विधायक अबू आसीम आजमी को विधानसभा से निलंबित किए जाने के बाद सियासत गरमा गई है। महाराष्ट्र सीएम के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अबू आजमी पर हमला बोला है। एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ने संवाददाताओं से कहा, "महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया है।" साथ ही अबू आजमी को बड़ी चेतावनी भी दी। महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्खेगा। यह तो बस पहला कदम है; उन्हें अभी संकेत दिया गया है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो महाराष्ट्र



उन्हें माफ नहीं करेगा।" महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेंकर ने मुगल बादशाह औरंगजेब पर टिप्पणी

करने के कारण समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को बुधवार को चल रहे बजट सत्र की पूरी अवधि के

लिए निलंबित कर दिया। आजमी की टिप्पणी के खिलाफ बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया। संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में कहा कि आजमी के आपत्तिजनक बयान से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, जिसके चलते इस सत्र के लिए उनकी सदस्यता निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकार ने पारित कर दिया। आजमी ने कथित तौर पर कहा था कि औरंगजेब "क्रूर प्रशासक" नहीं था और उसने "कई मंदिर बनवाए"।

उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच लड़ाई राज्य प्रशासन के लिए थी, न कि हिंदू और मुस्लिम के लिए। मुगल बादशाह औरंगजेब पर अपनी टिप्पणी के कारण महाराष्ट्र के चल रहे बजट सत्र की पूरी अवधि के लिए निलंबित किए जाने पर अबू आजमी ने अपनी निराशा व्यक्त की। मैंने कुछ गलत नहीं कहा — अबू आजमी अबू आजमी ने कहा, "सदन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए मैंने अपना बयान वापस लेने की बात कही थी।

गोड्डा की अनामिका सोरेन का यूजीसी नेट जेआरएफ में बेहतरीन प्रदर्शन



में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं।

गोड्डा। गोड्डा जिले की अनामिका सोरेन ने दिसंबर 2024 के यूजीसी नेट-जेआरएफ परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता प्राप्त की है। कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन्स विषय में 99.35 पर्सेंटाइल हासिल किया। अनामिका वर्तमान में दुमका के महरो स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज

मुंबई पुलिस ने कोविड के दौरान मिड-डे मील के अनाज के दुरुपयोग के लिए पूर्व स्कूल प्रिंसिपल पर मामला दर्ज किया,

राधा नारायण के खिलाफ पुलिस कार्रवाई मुश्ताक शेख, शिक्षा विभाग के निरीक्षक, जो छात्र लाभ के लिए सरकारी योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, द्वारा दिए गए बयान पर आधारित थी। मुंबई पुलिस ने चेंबूर में स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ कोविड संकट के दौरान मिड-डे मील योजना के लिए अनाज के कथित दुरुपयोग को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है। राधा नारायण के खिलाफ पुलिस कार्रवाई मुश्ताक शेख द्वारा दिए गए बयान पर



आधारित थी, जो छात्र लाभ के लिए सरकारी योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार शिक्षा विभाग के निरीक्षक हैं। शेख ने कहा कि उन्होंने 22 दिसंबर, 2023 को मुलुंड से

भरत ठक्कर द्वारा स्कूल को दिए गए खाद्यान्न के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त एक पत्र के आधार पर जांच का आदेश दिया था। चार दिन बाद, चार सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट

प्रस्तुत की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2021 में स्कूल को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से 6,400 किलो दाल और 6,400 किलो मसूर दाल मिली थी, जिसे मिड-डे मील योजना के तहत छात्रों को वितरित किया जाना था। राधा नारायण ने दोनों में से 3,481 किलो दाल वितरित की, जबकि शेष 2,992 किलो मसूर दाल और दाल कथित तौर पर छात्रों को वितरित नहीं की गई। जब नारायण से जवाब मांगा गया, तो उन्होंने कहा कि स्कूल में जलभराव के.... शेष पृष्ठ २ पर

गुड न्यूज

मुंबई: महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने राज्य का बजट पेश होने से पहले बड़ी राहत दी है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य के विभिन्न सरकारी दफ्तरों में लगने हलफनामों में 500 रुपये की स्टांप ड्यूटी को माफ करने का ऐलान किया है। इससे अब पूरे महाराष्ट्र में जाति सत्यापन प्रमाण पत्र, आय

बिना स्टांप ड्यूटी के बनेंगे आय-जाति और निवास जैसे प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला

प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, गैर-आपराधिक परत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र को बनवाने में स्टांप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। सरकार के फैसले से लाखों विद्यार्थियों और लोगों को लाभ पहुंचेगा। सरकारी काम में अब



उनकी जेब नहीं कटेगी। बजट से पहले दी बड़ी राहत राज्य सरकार ने शपथ पत्र पर लगने वाले 500 रुपये के स्टाम्प शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है। अभी तक लोगों को कुछ प्रमाणपत्रों के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। इसके

लिए हलफनामा देना पड़ता था। इसमें 500 रुपये की स्टांप ड्यूटी लगती थी। ऐसा नहीं होने पर कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता था। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शपथपत्र पर लगने वाले 500 रुपये के स्टाम्प शुल्क.... शेष पृष्ठ २ पर

संपादकीय

पुलिस पर लगातार बढ़ रहा काम का दबाव



यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें यह मांग की गई है कि पुलिसकर्मियों के काम के घंटे तय करने के साथ उन्हें साप्ताहिक अवकाश देना सुनिश्चित किया जाए। यह एक सच्चाई है कि अपने देश में पुलिस पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा है। समय के साथ उसकी जिम्मेदारियां तो बढ़ती जाती हैं, लेकिन उसे वांछित सुविधाएं और संसाधन नहीं मिल पाते।

औसत पुलिसकर्मियों के काम के घंटे तय नहीं होते। उन्हें तय अवधि से लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है। साप्ताहिक अवकाश भी उन्हें मुश्किल से मिल पाता है। अपने देश में औसत पुलिसकर्मी जितना काम तीन-चार दिन में करते हैं, उतना पश्चिमी देशों में एक सप्ताह में करते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि देश में पुलिस संख्याबल के अभाव से जूझ रही है।

हर राज्य में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। समस्या यह है कि राज्य सरकारें समय रहते रिक्त पदों को भरने में तत्परता नहीं दिखातीं। इसी कारण कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देना पड़ा था कि सभी राज्य प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों को भरें।

यह ठीक है कि तकनीक के उपयोग ने पुलिस का काम आसान किया है, लेकिन यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की तैनाती का कोई विकल्प नहीं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि प्रति एक लाख आबादी पर कम से कम 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन अपने देश में अधिकतर राज्यों में प्रति एक लाख आबादी पर इसके आधे भी पुलिसकर्मी नहीं हैं।

इसका बुरा असर केवल पुलिसकर्मियों के काम और उनके शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि कानून एवं व्यवस्था पर भी पड़ता है। आवश्यक केवल यह नहीं है कि पुलिस पर काम के बोझ को कम किया जाए, बल्कि यह भी है कि उन्हें पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं। ऐसा किए बिना कानून एवं व्यवस्था को बेहतर नहीं किया जा सकता।

देश के समुचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि कानून एवं व्यवस्था लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरे। पुलिस के काम के घंटे तय करने और उसे अपेक्षित संसाधन उपलब्ध कराने के साथ एक जरूरी काम उसकी कार्यप्रणाली और मानसिकता बदलने का होना चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अपने देश में पुलिस की छवि जनहितैषी बल की नहीं है।

इसका प्रमुख कारण पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार भी है। कुछ पुलिसकर्मी तो पुलिस की नौकरी को ऊपरी कमाई का आसान जरिया मानते हैं। भारतीय पुलिस की एक बड़ी समस्या यह भी है कि उसे राजनीतिक दबाव में काम करना पड़ता है। विडंबना यह है कि न तो केंद्र सरकार पुलिस सुधारों को लेकर गंभीर है और न ही राज्य सरकारें।

नई शिक्षा नीति का बेतुका विरोध, भाषा के नाम पर इसमें अड़ंगा वाला रवैया ठीक नहीं

देश में नई शिक्षा नीति चार वर्ष पहले लागू की गई थी। अब उसका तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य अपने चुनावी हित के लिए भाषा के नाम पर इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। उनका यह रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि देश की शिक्षा व्यवस्था में समकक्षता तथा स्तरीय समानता लाना परम आवश्यक है।

इसमें दो राय नहीं कि सभी राज्यों के अधिकारियों और विशेषज्ञों के सहयोग से बनी नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा प्रणाली को भारत की संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जोड़ने में पूरी तरह सक्षम है। यह ज्ञान-सृजन में भारत की अग्रणी भागीदारी भी लक्षित करती है। इसमें ऐसी भावी पीढ़ी तैयार करने की क्षमता है, जो भारत के प्रति समर्पित होगी और उसकी 'विविधता में एकता' को साकार कर विश्व के समक्ष उदाहरण बनाकर प्रस्तुत कर सकने की सामर्थ्य से परिपूर्ण होगी।

उसमें भारतीय मूल्यों की समझ तो होगी ही, उसकी सराहना का भाव उसमें स्वतः ही अंतर्निहित हो जाएगा, लेकिन यह सब तभी संभव होगा, जब शिक्षा नीति का केवल राजनीति के कारण विरोध कर उसके क्रियान्वयन में बाधाएं उत्पन्न न की जाएं।

हर सरकार और विशेष रूप से तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को यह समझना चाहिए कि उसके निर्णय भारत के युवाओं की आशाओं और अपेक्षाओं पर सदैव खरे उतरें। स्टालिन सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि उसका आचरण भारत की नई पीढ़ी को प्रभावित करने वाला है। जनता के विश्वास पर खरा उतरना हर सरकार का नैतिक कर्तव्य है। ऐसा करने में पक्ष या विपक्ष में होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन



दुख की बात है कि इस उत्तरदायित्व को अनेकानेक अवसरों पर भुला दिया जाता है।

दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन यहां के हालिया विधानसभा चुनाव सारे देश के लिए आकर्षण और उत्सुकता का केंद्र बने रहे। विभिन्न दलों ने जिस ढंग से चुनाव प्रचार के समय एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए, जिस भाषा का उपयोग किया, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हो रहे शालीनता के इस हनन का बच्चों तथा युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

हमें याद रखना होगा कि देश के भविष्य के कर्णधारों की पीढ़ी की तैयारी केवल घरों और कक्षाओं में ही नहीं होती है, बल्कि उस पर समाज के विशिष्ट जनों के आचरण का भी प्रभाव पड़ता है। देश के चयनित प्रतिनिधियों और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रभाव तो उन पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि सारे संचार माध्यम लगातार उनसे संबंधित वर्णन ही प्रचारित-प्रसारित करते रहते हैं।

स्कूलों या महाविद्यालयों की कक्षाओं

में नैतिकता, मानवीय मूल्यों की आवश्यकता पर अपने प्राध्यापक का प्रभावशाली भाषण सुनकर आया युवक जब संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखता है और पाता है कि वहां तो सब कुछ उससे विपरीत हो रहा है, जो उसे सिखाया-पढ़ाया गया है, तब उसकी वैचारिकता सही और गलत के बीच हिचकोले खाने लगती है।

ऐसी स्थिति में उस पर नकारात्मकता के हावी होने की ही आशंका अधिक बनती है। वह यदि अपने कुलपति या प्राचार्य की टेबल पर चढ़कर कागज फाड़कर उनके मुंह पर फेंक देता है, तब वह किसी आधिकारिक रूप से सम्मानित घोषित महानुभाव का ही अनुसरण कर रहा होता है। जब देश का युवा भारत की संसद में असंसदीय आचरण देखता है, जब वह संसद में अध्यक्ष और सभापति का असम्मान होते देखता है, तब उससे वह अनजाने और अनकहे ही बहुत कुछ अंतर्निहित कर लेता है।

संसद के सदन लगातार स्थगित होते रहें और विश्वविद्यालय में कक्षाओं के नियमित चलने के उपदेश दिए जाएं, तो इसे अनावश्यक प्रलाप ही

कहा जाएगा। यदि संसद सही उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेगी तो नगरपालिका के पार्षद से अपेक्षा क्या बेमानी नहीं होगी? कार्यकारी पीढ़ी का भावी पीढ़ी के प्रति सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व अनुकरणीय और शालीन आचरण प्रस्तुत करना होता है। नीतियां कितनी ही सजग, सतर्क और व्यावहारिक क्यों न हों, जब वे केवल कागजों में रह जाएं, तब समझना चाहिए कि उनके क्रियान्वयन के प्रति जिम्मेदार लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। संविधान केवल चुनावी हार-जीत तक सीमित नहीं है। उसमें व्यावहारिक शालीनता, सेवा, अनुकरणीय आचरण, ईमानदारी तथा निष्कपटता भी अंतर्निहित हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक में अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. भीमराव आंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि भविष्य में संविधान के प्रविधानों की सार्थकता और उपयोगिता, उसका क्रियान्वयन करने के लिए चुने गए लोगों पर यानी उनकी प्रवृत्तियों, नीयत और नैतिकता पर निर्भर करेगी।

पृष्ठ 1 का शेष

बिना स्टॉप ड्यूटी के बनेंगे आय-जाति...

को माफ करने का निर्णय लिया है। बावनकुले की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम के बाद छात्र और अभिभावक इन सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए कुल 3 से 4 हजार रुपये खर्च करते हैं। सरकारी कार्यालयों में दाखिल सभी प्रकार के हलफनामों के लिए आवश्यक 500 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी गई है। अब यह खर्च बच जाएगा। तुरंत लागू करने का आदेशनागरिकों को विभिन्न सरकारी प्रमाणपत्रों के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस हलफनामे के लिए नागरिकों को 500 रुपये का स्टाम्प शुल्क देना पड़ता था। इसका सबसे अधिक असर छात्रों पर पड़ रहा था। आय प्रमाण पत्र, जाति सत्यापन प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और कई अन्य प्रमाण पत्रों की कीमत 500 रुपये है। इसका मतलब यह है कि छात्र केवल स्टाम्प ड्यूटी पर ही प्रति वर्ष 2,000 से अधिक खर्च कर रहे थे। लेकिन अब यह खर्च बचने वाला है। महागठबंधन सरकार ने 500 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी माफ करने का फैसला किया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस निर्णय की घोषणा की। बावनकुले ने इस फैसले को तत्काल लागू करने का आदेश दिया है।

मुंबई पुलिस ने कोविड के दौरान मिड-डे मील...

कारण अनाज खराब हो गया था, इसलिए उसे फेंक दिया गया था। हालांकि, नारायण ने कथित तौर पर बीएमसी और शिक्षा विभाग को अनाज के खराब होने की जानकारी पहले नहीं दी थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अनाज का निपटान कैसे किया गया, क्योंकि निपटान के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन, निपटान का स्थान या निपटान के समय ली गई कोई भी तस्वीर या वीडियो दिखाने वाले कोई लॉग नहीं हैं। साथ ही, स्कूल के रिकॉर्ड में इसका कोई उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी के बहाव या अन्य संपत्तियों को हुए नुकसान का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बयान में कहा गया है कि कुल 4.90 लाख रुपये का अनाज वितरित नहीं किया गया और नारायण ने यह दिखावा करके सरकार को गुमराह किया और धोखा दिया कि अप्रैल से जून 2021 के बीच वितरित किया जाने वाला अनाज खराब हो गया था। पुलिस ने आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण में अत्यावश्यकता खंड का दुरुपयोग करने पर राज्य और सिडको की खिंचाई की

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अत्यावश्यकता खंड को मनमाने ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार और सिडको को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने 20 मई, 2015 को जारी धारा 6 की घोषणा तथा उसके बाद 7 जुलाई, 2017 को दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें अधिग्रहण को अवैध माना गया था। धारा 6 सरकार को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि को आवश्यक घोषित करने की अनुमति देती है। हाईकोर्ट रायगढ़ के पनवेल के वहल गांव के कृषकों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनकी भूमि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित सहायक कार्यों के लिए अधिग्रहित की गई थी। हालांकि, अधिकारी धारा 5ए के तहत अनिवार्य जांच को दरकिनार करने का औचित्य साबित करने में विफल रहे, जो प्रभावित भूमि

मालिकों को सुनवाई का अधिकार देता है। न्यायमूर्ति एमएस सोनक और जितेंद्र जैन की पीठ ने कहा, रतत्कालता के कथित आह्वान को उचित ठहराने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। किसी भी हलफनामे में इसकी व्याख्या या कोई कारण नहीं दिया गया है, र हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि न तो सिडको और न ही राज्य सरकार कोई अधिसूचना या निर्देश प्रस्तुत कर पाई, जिसमें तत्काल आवश्यकता बताई गई हो। न्यायालय ने कहा, रतत्काल आवश्यकता बताई नहीं जा सकती। या तो इसे संतुष्टि के उचित रिकॉर्ड और दिमाग लगाने के बाद लागू किया जाता है, या नहीं, र न्यायालय ने मामले को 'लापरवाही या अस्पष्टता' से संभालने के लिए अधिकारियों की आलोचना की। उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि भूमि मालिकों को अपनी भूमि जबरन



अधिग्रहित किए जाने से पहले सुनवाई का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार सार्थक होना चाहिए, र इसने दिखावा नहीं होना चाहिए, र इसने जोर दिया। उच्च न्यायालय ने पाया कि किसानों ने धारा 5ए के तहत निर्धारित समय के भीतर आपत्तियां दर्ज की थीं, लेकिन उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया और कोई सुनवाई नहीं की गई। न्यायालय ने कहा कि यह प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता का उल्लंघन है। इसने सरकार के तात्कालिकता के दावे में विरोधाभासों को भी उजागर किया, जिसमें कहा गया कि

धारा 4 अधिसूचना (7 दिसंबर, 2013) और धारा 6 घोषणा (20 मई, 2015) के बीच लगभग दो साल बीत चुके थे। इसके अलावा, गांव में धारा 4 अधिसूचना प्रकाशित करने में 13 महीने लग गए। अदालत ने टिप्पणी की, र अधिसूचना के बाद की देरी को छोड़कर भी, लगभग दो साल कोई वास्तविक तात्कालिकता नहीं होने का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है। राज्य के अधिवक्ता एआई पटेल यह पुष्टि करने में विफल रहे कि धारा 17(4) के तहत कोई तात्कालिकता अधिसूचना जारी की

गई थी या नहीं। राज्य ने दस्तावेज पेश नहीं किया, लेकिन पटेल ने तर्क दिया कि चूंकि धारा 6 घोषणा में तात्कालिकता अधिसूचना का उल्लेख किया गया था, र ऐसी कोई अधिसूचना अवश्य रही होगी। र उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया, यह निर्णय देते हुए कि तात्कालिकता प्रावधानों को बिना सबूत के नहीं माना जा सकता। सिडको के वकील जीएस हेगड़े ने तर्क दिया कि अधिग्रहण एक टाउनशिप विकसित करने के 'प्रशंसनीय उद्देश्य' के लिए किया गया था और याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को 'तकनीकी दलील' बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि धारा 5ए के तहत सुनवाई अनावश्यक थी क्योंकि टाउनशिप सार्वजनिक हित में थी। हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि धारा 5ए का अनुपालन एक वैधानिक आवश्यकता है। अदालत ने कहा, र चूंकि चुनौती दी गई थी,

इसलिए प्रतिवादियों को प्रासंगिक सामग्री के साथ उचित हलफनामा दाखिल करके अत्यावश्यकता का आह्वान करने का औचित्य साबित करना था। हाई कोर्ट ने अत्यावश्यकता खंड के आह्वान को गैरकानूनी करार दिया और धारा 6 की घोषणा और उसके बाद के पुरस्कार को रद्द कर दिया। हालांकि इसने धारा 4 की अधिसूचना को रद्द नहीं किया, लेकिन सरकार द्वारा कानूनी रूप से अधिग्रहण के लिए आगे बढ़ने पर मुआवजे के सवाल को खुला छोड़ दिया। अदालत ने यह भी कहा कि सिडको के ज़मीन पर कब्जा करने के दावे का खंडन उसके अपने आवेदन से होता है जिसमें याचिकाकर्ताओं को 2018 में दी गई अंतरिम राहत को रद्द करने की मांग की गई थी। राज्य ने आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि रोक लगाने से याचिकाकर्ताओं को 2018 से दी गई अंतरिम सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।

दादर के व्यापारियों ने अवैध हॉकरों के खिलाफ किया प्रदर्शन, बीएमसी और पुलिस से संयुक्त कार्रवाई की मांग

अवैध फेरीवालों की समस्या बढ़ती जा रही है, विशेष रूप से दादर क्षेत्र के व्यस्ततम मार्गों पर, जिससे गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। आर.के. वैद्य रोड, वीर कोतवाल गार्डन के सामने और एन.सी. केलकर रोड जैसे प्रमुख चौराहे अतिक्रमण के लिए प्रमुख आकर्षण के केंद्र बन गए हैं। दादर व्यापारी संघ (डीवीएस) की शिकायत है कि इस अवैध वेंडिंग की वजह से यातायात में भारी भीड़भाड़ हो रही है, जिससे मोटर चालकों और पैदल चलने वालों दोनों को ही रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बीएमसी और पुलिस अधिकारियों को भी पत्र लिखकर बड़े पैमाने पर हो रहे अतिक्रमण को दूर करने और इलाके में व्यवस्था बहाल करने के लिए संयुक्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। शहर में खरीदारी के लिए मशहूर दादर स्टेशन पश्चिमी और मध्य लाइनों को जोड़ता है, साथ ही आसपास की सब्जी और फूलों की मंडियों के कारण यहां रोजाना लाखों लोग आते हैं। हालांकि, अधिकांश सड़कों और फुटपाथों पर फेरीवालों का कब्जा है, जिससे नागरिकों को असुविधा होती है। पिछले साल, दादर, चेंबूर, घाटकोपर और बांद्रा इलाके में फेरीवालों और व्यापारियों के बीच कई झगड़े हुए थे। डीवीएस



के अनुसार, फेरीवालों ने सड़कों और दुकानों के प्रवेश द्वार दोनों पर अतिक्रमण कर लिया है। जबकि नगर निगम के अधिकारी दादर स्टेशन के बाहर अवैध फेरीवालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई करने का दावा करते हैं, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, फेरीवाले जल्दी ही फुटपाथों पर कब्जा करने के लिए वापस आ जाते हैं। नगर आयुक्त भूषण गगरानी और पुलिस आयुक्त विवेक फनसालकर को संबोधित एक पत्र में, डीवीएस ने कहा, 'दादर में यातायात की भीड़ एक गंभीर स्तर पर पहुंच गई है, जो सड़क के कोनों और फुटपाथों पर कब्जा करने वाले फेरीवालों की वजह से और भी बदतर हो गई है। कभी-कभार की जाने वाली कार्रवाइयों के बावजूद, ये महज औपचारिकताएं लगती हैं, क्योंकि फेरीवालों को पहले से चेतावनी दी जाती है, जिससे पता चलता है कि

कुछ अधिकारी उन्हें इसकी सूचना दे रहे होंगे।

इसके अलावा, हम एनसी केलकर रोड सिग्नल पर प्रमुख शोरूम के पास तैनात ट्रैफिक कांस्टेबलों की भूमिका को उजागर करना चाहते हैं, जिन्हें शोरूम के ग्राहकों के वाहनों को अनुमति देते हुए देखा जाता है। डीवीएस के अध्यक्ष सुनील शाह ने रुकी हुई वैलेट पार्किंग पहल पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, 'हम वैलेट पार्किंग सेवा को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं, जो दुर्भाग्य से संबंधित अधिकारियों से समर्थन की कमी के कारण रुकी हुई थी।

हालांकि, यह तभी हो सकता है जब बीएमसी, पुलिस और यातायात विभाग समाज के व्यापक लाभ के लिए इस पहल पर सहयोग करने के लिए एक साथ आएंगे। हम जल्द से जल्द एक संयुक्त बैठक का आग्रह करते हैं ताकि एक स्थायी,

दीर्घकालिक समाधान पर चर्चा और विकास किया जा सके।' डीवीएस के सचिव दीपक देवरुखकर ने आगे कहा, 'हमने अवैध फेरीवालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए बीएमसी, पुलिस और यातायात विभागों सहित सभी 11 संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है। दुर्भाग्य से, इन विभागों के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के कारण बाधाएं पैदा हो रही हैं, जिससे न केवल दादर बल्कि पूरे मुंबई क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के प्रभावी प्रवर्तन में बाधा आ रही है।' इस बीच, एक अधिकारी ने कहा, 'अवैध फेरीवालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, नई फेरीवाला नीति लागू होने के बाद इस मुद्दे को पूरी तरह से सुलझा लिया जाएगा।' जी नॉर्थ के सहायक नगर आयुक्त अजीत कुमार अंबी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। 2014 में, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को फेरीवालों की नीति को लागू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, बीएमसी ने 1,28,444 फेरीवालों का सर्वेक्षण किया था। कुल 99,435 आवेदनों को फेरीवाला लाइसेंस मिला। बीएमसी ने आगे की प्रक्रिया के लिए 15,631 आवेदनों का चयन किया था। नीति को अभी लागू किया जाना है।

शिवसेना महिला अघाड़ी ने महिला सुरक्षा के लिए एसटी बसों में सीसीटीवी लगाने की मांग की; परिवहन मंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए,



महिलाओं की सुरक्षा के लिए जोरदार कदम उठाते हुए शिवसेना महिला अघाड़ी ने सभी राज्य परिवहन (एसटी) बसों में तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। इस अनुरोध को रेखांकित करते हुए एक ज्ञापन सोमवार को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपा गया। इस पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने परिवहन विभाग को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पुणे के स्वर्गेत बस स्टेशन पर हाल ही में हुई घटनाओं ने राज्य परिवहन डिपो में कई सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया है। इसके जवाब में, परिवहन विभाग ने एसटी बसों के अंदर दुर्व्यवहार को रोकने के लिए उपायों को लागू करना शुरू कर दिया है। शिवसेना विधायक डॉ. मनीषा कायंदे ने इस बात पर जोर दिया कि बसों को सीसीटीवी कैमरों से लैस करना यात्रा के दौरान और डिपो में उतपीड़न को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निगरानी व्यवस्था के साथ-साथ शिवसेना ने बस डिपो और स्टेशनों पर सुरक्षा गाड़ों की पूर्णकालिक तैनाती और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित पुलिस गश्त की भी मांग की है। डॉ. कायंदे ने रत्नाल परीर (लाल एसटी बसों) में जनता का विश्वास बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, जो आम नागरिकों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करती हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, एकनाथ शिंदे ने एसटी बसों में महिलाओं के लिए 50% किराए में छूट की शुरुआत की, जिससे महिला यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई। हालांकि, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सीसीटीवी कैमरों की मांग का उद्देश्य महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना है। मामले की गंभीरता को समझते हुए, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने पहले ही अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

शिवसेना के चेंबूर कार्यालय में कथित तौर पर शराब पार्टी का आयोजन; वायरल वीडियो से आक्रोश

मुंबई: मुंबई के चेंबूर स्थित शिवसेना कार्यालय के अंदर कथित तौर पर शराब पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) नेता सुनील प्रभु ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पार्टी कार्यालय शिवसैनिकों के लिए मंदिर की तरह हैं और वहां ऐसी गतिविधियां आयोजित करना सत्तारूढ़ गुट का असली चेहरा उजागर करता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह वीडियो शिवसेना के तिलक नगर कार्यालय में आयोजित एक पार्टी में शूट किया गया था। शिवसेना यूबीटी ने वायरल वीडियो को लेकर प्रतिद्वंद्वी गुट की आलोचना की। शिवसेना यूबीटी ने अपने आधिकारिक अकाउंट एक्स पर वायरल वीडियो पोस्ट किया और इसे 'रेबेशमी' की हद बताया। यूबीटी गुट ने शिंदे सेना पर पार्टी कार्यालयों में शराब पार्टी आयोजित करने का आरोप लगाया। प्रतिद्वंद्वी गुट पर आगे हमला करते हुए यूबीटी सेना ने



लिखा, 'असली शिवसेना का पार्टी कार्यालय एक 'कोर्टहाउस' है और देशद्रोही समूह का पार्टी कार्यालय एक 'शराब बार' है।' वायरल वीडियो में चेंबूर में शिवसेना कार्यालय के अंदर कई व्यक्तियों को शराब पीते हुए दिखाया गया है। विवाद तब और बढ़ गया जब पृष्ठभूमि में एक पोस्टर में छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और स्थानीय विधायक मंगेश कुडलकर जैसे प्रमुख व्यक्ति दिखाई दिए। कथित तौर पर शराब पार्टी के

दौरान इन तस्वीरों की मौजूदगी ने विपक्षी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आक्रोश को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस सभा में शाखा प्रमुख दीपक चौहान और उप मंडल प्रमुख संजय कदम समेत शिवसेना के पदाधिकारी मौजूद थे। वीडियो में शराब की बोतलें और भरे हुए गिलास टेबल पर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, ईकेएन ने स्वतंत्र रूप से वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (यूबीटी) नेताओं ने सत्तारूढ़ गुट पर तीखा हमला किया।

सुनील प्रभु ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की आलोचना की और उन पर पार्टी की विरासत का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पार्टी की छवि को धूमिल करती हैं और नेतृत्व के अपने सदस्यों पर नियंत्रण पर सवाल उठाती हैं। 'अगर पार्टी कार्यालयों का दुरुपयोग किया जा रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए': मंत्री संजय शिरसाट इस बीच, महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि अगर यह वास्तव में वीडियो में दिखाए अनुसार हुआ है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कार्यालयों का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसा कि जी न्यूज मराठी ने बताया है। वीडियो ने शिवसेना के दो गुटों के बीच एक नई राजनीतिक जंग छेड़ दी है। चुनाव नजदीक आने के साथ, विवाद और बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें दोनों पक्ष तीखी नोकझोंक और आरोप-प्रत्यारोप में उलझे रहेंगे।

मुंबई: बजरंग दल के दो कार्यकर्ताओं पर हमला करने के आरोप में छह पुलिसकर्मियों का तबादला

हालांकि वकोला पुलिस ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पुलिस की कथित बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वकोला पुलिस स्टेशन से जुड़े छह पुलिसकर्मियों को शनिवार को एक अस्थायी सजा के तौर पर साइड पोस्टिंग पर भेज दिया गया है। उन पर बजरंग दल के दो कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप है। ये कार्यकर्ता एक नाबालिग लड़की के साथ दूसरे समुदाय के एक सदस्य के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराने वाले थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एकटेकसरी से इस घटनाक्रम की पुष्टि की और कहा कि वकोला पुलिस स्टेशन से दो अधिकारियों और चार कांस्टेबलों को शनिवार को 'जनहित में' नैगांव स्थानीय शस्त्र प्रभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। जिन छह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है, उनकी पहचान सहायक निरीक्षक शिवाजी शिंदे, परिवीक्षाधीन उपनिरीक्षक अच्युत नायकरे, हेड कांस्टेबल सुरेश माधगुंडी, कांस्टेबल ज्ञानेश्वर शिंदे, प्रदीप मिस्त्री और अरविंद राउत के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिछले महीने बजरंग दल के पदाधिकारी जयकिशन प्रजापति और संगठन के एक अन्य सदस्य सांताक्रूज ईस्ट में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एक समुदाय के सदस्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए वकोला पुलिस के पास गए थे। प्रजापति ने पीड़ित लड़की को एफआईआर दर्ज करवाने में मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन भी ले गए थे। हालांकि, आरोप है कि वकोला पुलिस स्टेशन के दो पुलिस अधिकारियों और चार कांस्टेबलों ने प्रजापति और उनके सहयोगी को जबरन पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन रूम में ले जाकर कथित तौर पर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। हालांकि वकोला पुलिस ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कथित बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जोन 8 के डीसीपी से मुलाकात कर छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जोनल डीसीपी ने जांच कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेज दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को छह पुलिसकर्मियों को स्थानीय शस्त्र प्रभाग में स्थानांतरित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है।

बीएमसी की साजिश और सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक के कारण सायन आरओबी का निर्माण सात महीने तक विलंबित

मुंबई: सायन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के बंद होने से मध्य मुंबई के कुछ हिस्सों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क सात महीने से बाधित है। ब्रिटिशकालीन आरओबी, जिसे आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया है, का पुनर्निर्माण किया जाना है, लेकिन कई कारणों से इसमें देरी हो रही है। मध्य रेलवे (सीआर) द्वारा दावा किया गया है कि देरी के चार मुख्य कारण हैं, पाँच पेड़, एक शौचालय ब्लॉक, बिजली के तार और बीएमसी द्वारा कथित रूप से पट्टे पर ली गई एक इमारत, जिसे साफ करके रेल अधिकारियों को सौंपने की उम्मीद है, जिससे आरओबी के विध्वंस और पुनर्निर्माण में तेजी आएगी। आरओबी के बैरिकेड वाले हिस्से के दोनों ओर पाँच पेड़, जिन्हें पिछले अगस्त में वाहनों के

आवागमन के लिए बंद कर दिया गया था, सायन रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग के किनारे हैं। स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में शौचालय ब्लॉक के कारण पुनर्निर्माण की गति भी धीमी हो गई है, जिसके चारों ओर बैरिकेड लगे हुए हैं, लेकिन वह चालू है। 15 साल से शौचालय ब्लॉक चलाने वाले एनजीओ के एक सदस्य से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि इस देरी के लिए उन्हें बेवजह दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि असल में रेलवे का विध्वंस कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा था। उन्होंने कहा, 'हमने स्थानांतरित करने के लिए जगह मांगी है।' सीआर के सूत्रों ने बताया कि शौचालय ब्लॉक को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए उन्होंने बीएमसी के साथ बैठक की है। सीआर के एक



अधिकारी ने कहा, 'हम अगले दो से तीन दिनों में इस शौचालय ब्लॉक को हटाने पर विचार कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण के लिए आवश्यक भारी मशीनरी और उपकरणों को ले जाना मुश्किल था क्योंकि शौचालयों ने आरओबी तक पहुंचने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। अधिकारी ने कहा कि पांच

पेड़ों को भी जल्द ही काट दिया जाएगा। आरओबी से सटे भूखंड पर, जिसे कथित तौर पर बीएमसी ने पट्टे पर लिया है और अभी तक खाली नहीं किया गया है, सीआर सूत्रों ने कहा कि इस भूखंड पर कुछ परिवार रह रहे थे, जिसे खाली करके रेलवे को हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी। जब तक यह भूखंड उपलब्ध नहीं

कराया जाता, तब तक वैकल्पिक 3.5 मीटर चौड़ा पैदल यात्री एफओबी नहीं बनाया जा सकता। आरओबी के शेष हिस्से को गिराने के लिए नया एफओबी आवश्यक है, जिसका उपयोग पैदल यात्रियों द्वारा भारी मात्रा में किया जा रहा है। आरओबी रैप के नीचे एक सार्वजनिक अंडरपास भी है, जहां पाइलिंग का काम चल रहा है। देरी का एक अन्य कारण बिजली के तारों, वितरण पैनल बॉक्स और अन्य बिजली के तारों को स्थानांतरित करना है, जिसे बेस्ट कर रहा है। बेस्ट उपक्रम के सूत्रों ने कहा कि केबलों का डायवर्जन और ट्रेडिंग का काम चल रहा है, और केबलों को स्थानांतरित करने में सात से दस दिन लगेंगे। फुटपाथ के साथ एक ड्रेनेज लाइन और पानी की आपूर्ति लाइनें भी हैं जिन्हें स्थानांतरित करने की

आवश्यकता है। सायन के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाले पुल के बंद होने से बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, धारावी, सायन और कुर्ला की ओर जाने वाली सड़कों पर यातायात की भारी भीड़ है। इस परियोजना में दो अलग-अलग चरण शामिल हैं: पुराने ब्रिटिशकालीन पुल को ध्वस्त करना और नए लोहे के गर्डर लगाकर नया पुल बनाना। कुर्ला और परेल के बीच पांचवीं और छठी रेल लाइन बिछाने के लिए पिछले साल अगस्त में पुल को बंद कर दिया गया था। पुल को ध्वस्त करने में दो महीने और लगने की उम्मीद है, जबकि नए पुल को 18 महीने में फिर से बनाया जाएगा। नए पुल की लंबाई मौजूदा 30 मीटर से बढ़कर 49 मीटर हो जाएगी, जबकि इसकी चौड़ाई 29 मीटर ही रहेगी।

बायकुला अग्निकांड ने ऊंची इमारतों में आग से सुरक्षा को जांच के दायरे में ला दिया

शुक्रवार को शहर में बायकुला की 57 मंजिला इमारत की 42वीं मंजिल पर आग लगने की घटना हुई। बायकुला ईस्ट में साल्सेट बिल्डिंग नंबर 27 में सुबह 10.45 बजे आग लगी। दोपहर 1.10 बजे तक दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। निकासी लिफ्ट की धीमी गति के कारण,

दमकल विभाग के कई सदस्यों को प्रभावित क्षेत्र तक पहुँचने के लिए 45 मंजिलें चढ़नी पड़ीं। घटनास्थल पर एक दमकलकर्मियों इस घटना ने एक बार फिर ऊंची इमारतों में आग से सुरक्षा के उपायों को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। मुंबई फायर ब्रिगेड के मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(सीएफओ) रवींद्र अंबुंगेकर ने एकटेकसरी से बातचीत में ऐसी मंजिलें चढ़नी पड़ीं। घटनास्थल पर एक दमकलकर्मियों इस घटना ने एक बार फिर ऊंची इमारतों में आग से सुरक्षा के उपायों को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। मुंबई फायर ब्रिगेड के मुख्य अग्निशमन अधिकारी

शमन प्रणाली होनी चाहिए। इसमें स्वचालित स्प्रिंकलर, अग्नि अलार्म, अग्नि पंप, कुछ मंजिलों के बाद कूड़ा-कचरा क्षेत्र और अग्निशामक के लिए वैकल्पिक जल आपूर्ति शामिल है। निकासी लिफ्ट पर ऊंची इमारत में निकासी लिफ्ट होनी चाहिए जो जनरेटर और नियमित बिजली

आपूर्ति दोनों पर काम करती हो। जनरेटर बैकअप बिजली कटौती के दौरान कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है। प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मिकानून में प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य है जो आग या बचाव अभियान के मामले में पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में कार्य कर

सकते हैं। अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिटपंजीकृत अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा आंतरिक अग्नि सुरक्षा ऑडिट हर छह महीने में आयोजित किया जाना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट, जिसे फोरम बी के रूप में जाना जाता है, को फायर ब्रिगेड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बांद्रा के भारत नगर स्लम पुनर्विकास को मंजूरी दी

उच्चतम न्यायालय ने बांद्रा स्थित भारत नगर झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास का रास्ता साफ कर दिया है। न्यायालय ने निवासियों की अपील खारिज कर दी है, जिसमें कहा गया था कि निवासी परियोजना को रोकने के लिए 'विलंबकारी रणनीति' अपना रहे हैं। कुछ लोगों ने स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) योजना का विरोध करते हुए दावा किया था कि वे महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के किराएदार हैं, न कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग। एस.आर.ए. के निष्कासन नोटिस को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 जनवरी, 2023 के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, 'अपीलकर्ता परियोजना में देरी करने के लिए केवल टालमटोल करने वाले हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें अयोग्य झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले

लोग पाया गया है।' एस.आर.ए. ने महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम के तहत निष्कासन नोटिस जारी किया था। निवासियों ने इसे सर्वोच्च शिकायत निवारण समिति (ए.जी.आर.सी.) के समक्ष चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि भूखंड म्हाडा का लेआउट था और इसे विकास नियंत्रण विनियमन (डी.सी.आर.) के विनियमन 33(5) के तहत पुनर्विकास किया जाना चाहिए, न कि झुग्गी पुनर्विकास विनियमन 33(10) के तहत। 12 जून, 2019 को, AGRC ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा कि MHADA ने लगातार कहा है कि यह प्लॉट कभी भी उसके निर्धारित लेआउट का हिस्सा नहीं था। इसने यह भी स्पष्ट किया कि निवासियों ने किराया नहीं बल्कि पारगमन शुल्क और सेवा शुल्क का भुगतान किया था। AGRC ने उल्लेख किया कि कुछ अपीलकर्ताओं ने 2010 की



याचिका में इसी तरह की आपत्तियाँ उठाई थीं, जिसे 2011 में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। फिर भी, उन्होंने AGRC के 2019 के आदेश को कभी चुनौती नहीं दी और इसके बजाय पुनर्विकास में 261 पात्र झुग्गी निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था भारत एकता सहकारी समिति के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के इस दावे को सही रूप से खारिज कर दिया कि वे AGRC के आदेश से अनभिज्ञ थे, SC ने कहा। 2010 में स्वीकृत इस

परियोजना में तीन भूखंडों को मिलाना शामिल है। जबकि चरण I पूरा हो चुका है, चरण II तब रुका हुआ है जब अपीलकर्ताओं ने अपने परिसर को खाली करने का विरोध किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भूखंड को कभी भी झुग्गी घोषित नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया, 'यह परियोजना 'जनगणना की गई झुग्गी' से संबंधित है और इसके लिए झुग्गी अधिनियम की धारा 4 के तहत अलग से अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है।' भूमि का

स्वामित्व रखने वाली म्हाडा ने एसआरए के तहत पुनर्विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया था। अदालत ने कहा, 'यह तकनीकी रूप से म्हाडा की संपत्ति हो सकती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह एक झुग्गी के रूप में विकसित हुई है और इसलिए, विशुद्ध रूप से व्यावहारिक कारणों से, इसे एसआरए द्वारा विकसित किया जाना चाहिए।' एसआरए ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि 2,965 झुग्गी संरचनाओं का सर्वेक्षण किया गया था, जिनमें से 2,625 पुनर्वास के लिए योग्य पाई गईं। पात्र निवासियों में से 70% से अधिक ने पहले ही सहमति दे दी थी। कुछ अपीलकर्ता, जो शुरू में अपात्र थे, बाद में उन्हें पात्रता प्रदान की गई, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित आवास को अस्वीकार कर दिया, तथा इसके बदले म्हाडा द्वारा पुनर्विकास की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 'उनका उद्देश्य स्पष्ट है - वे म्हाडा

की योजना के तहत बड़े आवास चाहते हैं, न कि झुग्गीवासियों को दिए जाने वाले मानक पुनर्वास आवास।' परियोजना के अंतिम चरण में होने के कारण, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, 'इस चरण में, चल रही परियोजना में बाधा डालने से पुनर्विकास का पूरा उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में पात्र झुग्गीवासियों को लाभ मिलने वाला है।' अदालत ने यह भी कहा कि केवल चार अपीलकर्ताओं ने ही शुरुआत में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जबकि अन्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपील में शामिल हुए थे। पीठ ने टिप्पणी की, 'ये ऐसे लोग हैं जो सीधे इस न्यायालय में आए हैं और दावा किया है कि वे उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हैं, जबकि वे कभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष पक्ष नहीं थे।' अपील को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विकास को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया।

डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया, 19 पैसे की बढ़त के साथ 87 पर पहुंचा



मुंबई: स्थानीय शेयर बाजारों में तेजी, अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे मजबूत होकर 87.00 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क वृद्धि के कदम ने वैश्विक बाजारों में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी है, जिससे डॉलर में गिरावट आ रही है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपये में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

यह 87.18 पर खुला और फिर डॉलर के मुकाबले 86.93 के दिन के उच्चतम स्तर और 87.20 के निचले स्तर को छूने के बाद कारोबार के अंत में डॉलर के मुकाबले 87.00 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर बंद हुआ, जो पिछले बंद स्तर से 19 पैसे की बढ़त है।

डॉलर सूचकांक 0.79 प्रतिशत की गिरावट

इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.79 प्रतिशत घटकर 104.91 पर कारोबार कर रहा था। वायदा कारोबार में वैश्विक तेल

बेंचमार्क ब्रेट क्रूड 0.75 प्रतिशत घटकर 70.51 डॉलर प्रति बैरल रह गया।

मिराए एसेट शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण रुपया थोड़ा सकारात्मक रुख के साथ कारोबार करेगा। घरेलू बाजारों में किसी भी तरह की लंबे पुनरुद्धार से भी रुपये को समर्थन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि, एफआईआई की निकासी से तेज बढ़त पर लगाम लग सकती है। व्यापार शुल्क मुद्दे पर अनिश्चितता से रुपये पर और दबाव पड़ सकता है।

चौधरी ने कहा कि व्यापारी अमेरिका से आईएसएम सेवा पीएमआई और एडीपी गैर-कृषि रोजगार आंकड़ों से संकेत ले सकते हैं। डॉलर-रुपया हाजिर कीमत 86.75 रुपये से 87.20 रुपये के बीच कारोबार करने की उम्मीद है।

शेयर बाजार में लौटी रौनक
घरेलू शेयर बाजार में 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 740.30 अंक बढ़कर 73,730.23 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 254.65 अंक बढ़कर 22,337.30 अंक पर बंद हुआ। एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) पूंजी बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे। उन्होंने मंगलवार को 3,405.82 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

ट्रंप ने भारत के उच्च शुल्कों का आलोचना किया

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अन्य देशों द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों की आलोचना करते हुए उन्हें बहुत अनुचित करार दिया और अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर दो अप्रैल से जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने मंगलवार को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियाँ कीं।

ईपीएफओ 5 लाख लोगों को देगा तगड़ा झटका, क्या ज्यादा पेंशन पाने की उम्मीद पर फिरेगा पानी?



नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। क्या आप भी अपने ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन पाने की उम्मीद करके बैठे हैं, तो जल्द ही आपकी ये सारी उम्मीद फेल हो सकती है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, ईपीएफओ ने लोगों को ज्यादा पेंशन शुरू कर दिया है। हालांकि तकरीबन 5 लाख लोग इस सुविधा से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि उन कर्मचारियों की हाई पेंशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 में ईपीएफओ को ये ऑर्डर दिया था कि वो अपने सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन का ऑप्शन मुहैया कराए। इसके बाद से ईपीएफओ ने इसके लिए नियम और प्रोसेस तय किया है और अब इसके लिए पेमेंट ऑर्डर जारी करने शुरू हो गए हैं। अब तक हाई पेंशन के 21,000 से ज्यादा पेमेंट ऑर्डर रिलीज किए जा चुके हैं। बचे हुए 1.65 लाख लोगों के पेमेंट ऑर्डर जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है, लेकिन इस कारण 5 लाख लोगों पर सीधी गाज गिरने के कयास लगाए जा रहे हैं। 5 लाख लोगों पर गिरेगी गाज ईपीएफओ का ये कहना है कि उसके सब्सक्राइबर्स में से एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का है, जो ऐसे एम्प्लॉयर्स के पास काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड के पैसों को खुद ही मैनेज करते हैं। इसमें ज्यादातर ट्रस्ट बेस कंपनी से आती हैं, जिन्हें ईपीएफओ से फंड को मैनेज करने की छूट मिलती है। ऐसे में इन लोगों के ज्यादा पेंशन की उम्मीद को झटका लग सकता है। देश में तकरीबन 1,552 एम्प्लॉयर ऑर्गनाइजेशन ऐसे हैं, जो ईपीएफओ की इस छूट के अंतर्गत काम करते हैं। इनमें ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गनाइजेशन हैं।

देवेंद्र फडणवीस ने 'छावा' को बताया सुंदर फिल्म, बोले- उनका बलिदान लोगों के सामने



मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति संभाजी महाराज की प्रेरक गाथा बताने वाली ऐतिहासिक फिल्म 'छावा' की प्रशंसा की है। विधायकों और एमएलसी के लिए आयोजित स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म देखने के बाद, उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन को चित्रित करने के लिए फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से कहा कि एक बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई गई है। हमारी सहयोगी मंत्री अदिति तटकरे ने आज सभी विधायकों और एमएलसी के लिए इस स्क्रीनिंग का आयोजन किया है। लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित 'छावा' में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज और अक्षय खन्ना सम्राट औरंगजेब की भूमिका में हैं। इसमें रश्मिका मंदाना और दिव्या दत्ता भी हैं। सीएम ने आगे बताया कि इतिहास लिखने वालों ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से उनकी वीरता, बहादुरी, चतुराई, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, उनके जीवन के ये सभी पहलू लोगों के सामने आ रहे हैं। और जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने लगातार स्वराज्य की रक्षा की, उनका बलिदान इस फिल्म के माध्यम से लोगों के सामने आ रहा है। मैं इस फिल्म के निर्माताओं और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विक्की की 'छावा' की सराहना की थी।

जाह्नवी कपूर को डॉक्टर बनाना चाहती थीं श्रीदेवी, जानें फिर कैसे बदली एक्ट्रेस की किस्मत

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का जन्म 6 मार्च 1997 को मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर और एक्ट्रेस श्रीदेवी के घर में हुआ था। एक्ट्रेस आज अपना 28वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। जाह्नवी कपूर अपनी खूबसूरती और टैलेंट के बल पर इंडस्ट्री में पहचान बनाने में सफल हो चुकी हैं। हालांकि, जाह्नवी कपूर की मां श्रीदेवी एक्ट्रेस होने के बावजूद कभी भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्म लाइन में अपना करियर बनाए। जाह्नवी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो बॉलीवुड में करियर बनाए, वो चाहती थी कि जाह्नवी डॉक्टर बने। लेकिन जाह्नवी की किस्मत में बॉलीवुड का सितारा बनना लिखा था और वो बन भी गई। एक्टिंग का कीड़ा एक्ट्रेस को बचपन में ही काट लिया था। हालांकि, श्रीदेवी चाहती थी कि वो फिल्मों की संघर्ष और तनाव भरी लाइफ से दूर रहें। जाह्नवी कपूर को अपने मां को मनाने में काफी वक्त लगा। उन्होंने इस काम के लिए अपने पिता बोनी



कपूर की हेल्प ली। इस तरह जाह्नवी को बॉलीवुड में एंट्री के लिए श्रीदेवी की रजामंदी मिल पाई। एक्ट्रेस ने 2018 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा 'धड़क' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। जिसके बाद वो साल 2020 में बायोपिक 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' में टाइटैनिक एक्टर की भूमिका निभाई थी। जाह्नवी कपूर ने मुंबई में अपनी स्कूली पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की है। एक्ट्रेस ने यूएसए में ली स्ट्रॉसबर्ग

थिएटर एंड फिल्म इंस्टिट्यूट में अपने फिल्म एंड एक्टिंग की पढ़ाई की है। एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर को कविताएं लिखने का बेहद शौक है। वो साल 2018 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अपने मां के लिए कविता लिखी थीं। जाह्नवी कपूर को आखिरी बार फिल्म देवरा में देखा गया था। इस फिल्म से एक्ट्रेस ने साउथ इंडस्ट्री में एंट्री ली थी। जाह्नवी के पास सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर मूवी परमसुंदरी है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से की जा चुकी है। इसके आलावा जाह्नवी कपूर वरुण धवन के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में नजर आएंगी।



न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़कर डेविड मिलर ने रचा इतिहास, वीरेंद्र सहवाग का तोड़ा रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क: चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। साउथ अफ्रीका का इस हार के साथ ही टूर्नामेंट में सफर खत्म हो गया है। हालांकि इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के लिए डेविड मिलर ने अपनी जान झोंक दी। उन्होंने सेमीफाइनल में शतक जड़कर भारत के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ दिया है।

दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में तीन शतक लगे, दो न्यूजीलैंड की तरफ से और एक साउथ अफ्रीका की तरफ से। हालांकि डेविड मिलर का शतक बेकार गया। क्योंकि वह अफ्रीका का जीत नहीं दिला पाए, लेकिन उन्होंने बड़ा इतिहास रच दिया है। वह अब चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने महज 67 गेंदों में सेंचुरी लगाई, इस दौरान मिलर के बल्ले से 10 चौके और 6 छक्के लगाए। मिलर ने वीरेंद्र सहवाग को छोड़ा पीछे डेविड मिलर से पहले चैंपियंस ट्रॉफी में तेज शतक लगाने के मामले में सबसे ऊपर भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग थे। उन्होंने



2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 77 गेंदों में शतक लगाया था। उनके साथ ही संयुक्त रूप से जोश इंग्लिस भी हैं, जिन्होंने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ 77 गेंदों में शतक लगाया था। हालांकि मिलर ने सभी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे तेज शतक (गेंदों के हिसाब से) 67 - डेविड मिलर (SA) बनाम NZ, लाहौर, 2025 SF 77 - वीरेंद्र सहवाग (IND) बनाम ENG, कोलंबो RPS 2002 77 - जोश इंग्लिस (AUS) बनाम ENG, लाहौर, 2025 80 - शिखर धवन (IND) बनाम

SA, कार्डिफ, 2013 87 - तिलकरत्ने दिलशान (SL) बनाम SA, सेंचुरियन, 2009 ICC नॉकआउट मैचों में मिलर का शानदार रिकॉर्ड वहीं डेविड मिलर की बात करें तो आईसीसी के वनडे नॉकआउट मुकाबलों में उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। वह आईसीसी के नॉकआउट मैचों में हमेशा अच्छा खेलते हैं, लेकिन साथ ही मिलने की वजह से वह टीम को मुकाबला जीताने में असफल हो जाते हैं। 56*(51) बनाम इंग्लैंड, द ओवल, सीटी 2013 एसएफ 49(18) बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, सीडब्ल्यूसी 2015

एसएफ 101(116) बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलकाता, सीडब्ल्यूसी 2023 एसएफ 100*(67) बनाम न्यूजीलैंड, लाहौर, सीटी 2025 एसएफ ऐसा रहा मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी रही। पहले विकेट के लिए विल यंग और रचिन रविंद्र ने 48 रनों की साझेदारी की। इस मुकाबले में रचिन रविंद्र और केन विलियमसन में शानदार शतक जड़ा। रचिन रविंद्र 108 रन बनाकर आउट हुए और केन विलियमसन 102 रन बनाकर आउट हो गए। इस शतक के बदौलत टीम 362 रन बनाने में कामयाब रही। वहीं बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 20 के स्कोर पर रियान रिकलटन आउट हो गए। हालांकि दूसरे विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी हुई। लेकिन उसके बाद के कोई बल्लेबाज ने कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया। साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बवूमा ने 56 रनों की पारी खेली।

'यही मेरी नियति है', स्टीव स्मिथ के बाद एक और दिग्गज ने कहा क्रिकेट को अलविदा

स्पोर्ट्स डेस्क: चैंपियंस ट्रॉफी में अपने अंतिम चरण पर है, जहां 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है। लेकिन इससे पहले बांग्लादेश के दिग्गज बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने बुधवार 5 मार्च को अपने संन्यास का ऐलान सोशल मीडिया के जरिए किया। मुशफिकुर रहीम करीब 19 साल से बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खराब प्रदर्शन के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई और अब मुशफिकुर रहीम ने संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि खास बात ये भी है कि बुधवार को ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सालाना अनुबंधों की घोषणा की थी और उसके कुछ देर बाद ही मुशफिकुर रहीम ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मुशफिकुर रहीम ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, "मैं आज से वनडे फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर रहा हूँ। सभी चीजों के लिए अल्लाहु अकबर। भले ही वैश्विक स्तर पर हमारी उपलब्धियां सीमित रही हों, लेकिन एक बात निश्चित है: जब भी मैंने अपने देश के लिए मैदान पर कदम रखा, मैंने समर्पण और ईमानदारी के साथ 100% से अधिक दिया।" विकेटकीपर-बल्लेबाज ने आगे

सार्वजनिक सूचना

मेरे द्वारा तहसीलदार कुर्ला, मुलुंड, मुंबई के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, मालिक के रूप में 7/12 (सातबारा) में मेरा नाम दर्ज करके अधिकारों के रिकॉर्ड में उत्पत्ति के लिए सर्वे. संख्या 163 में सी. टी. एस. संख्या 593 जिसका क्षेत्रफल 3265.50 वर्ग मीटर है और सर्वे. संख्या 165 में सी. टी. एस. संख्या 594 जिसका क्षेत्रफल 2709 वर्ग मीटर है, दोनों तालुका कुर्ला, गांव माहुल, चेंबूर, मुंबई में स्थित हैं जो वर्तमान में बायराम नौशेरवान ईरानी के नाम पर है। सभी इच्छुक पक्ष को उक्त नामांतरण की सूचना दी जाती है और इस नोटिस के प्रकाशन से 10 दिनों के भीतर यानी 16/03/2025 को या उससे पहले तहसीलदार कुर्ला, मुलुंड के कार्यालय में लिखित रूप में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो उत्पत्ति के लिए सुनवाई कर रहा है, वरना योग्यता के आधार पर कोई आपत्ति नहीं मानते हुए उपयुक्त आदेश/आगे का निर्णय लिया जाएगा।

हस्ताक्षर-

जोगिंदर सिंह देसराज सिंह मागू

प्रयाग नगर सोसायटी,

एल.यू. गडकरी मार्ग, चेंबूर, मुंबई - 400074.

महिला दिवस पर अपनी मां के लिए करना चाहते हैं आप कुछ स्पेशल, तो आजमा लीजिए खास तरीके

महिला दिवस हर साल की तरह इस बार भी 8 मार्च को मनाया जाने वाला है। आपके जीवन में भी कई महिलाएं ऐसी होंगी जिनके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। यानी मां, दादी, भाभी और बहन कई रिश्ते आ जाते हैं जो किसी ना किसी रूप से अलग स्थान रखते हैं। हर बच्चे का अपनी मां से काफी ज्यादा लगाव होता है। वैसे तो महिला दिवस ही नहीं मां के लिए तो हर दिन खास होता है जिसके लिए आप कुछ स्पेशल करने का सोच सकते हैं।

महिला दिवस पर अगर आप अपनी प्यारी मां के लिए कुछ स्पेशल प्लान करने वाले हैं तो आप यहां पर बताए जा रहे इन तरीकों की मदद ले सकते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में इन तरीकों से मां का दिन बनाएं बेहद खास अपने जीवन का सबसे प्यारा तोहफा



मां-पापा होते हैं जिनकी खुशी के लिए हम जीते हैं। जिन्होंने बिना किसी मोल के हमारे ज़िंदगी में कई रंग भरे हैं। मां के लिए आप इन तरीकों को आजमा सकते हैं।

1-गिफ्ट देना
महिला दिवस पर मां को खुशी देने के लिए सबसे अच्छा तरीका गिफ्ट देना होता है जिसमें पसंद के अनुसार आप गिफ्ट खरीद सकते हैं या ऐसा गिफ्ट दें तो जो उनके काम को आसान



बनाएं। आप उन्हें पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स, स्मार्ट गैजेट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, परफ्यूम, किचन का सामान या फिर उनकी ज़रूरी के मुताबिक उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं। वैसे तो मां दिन भर काम में लगी रहती है इसके लिए एक सप्ताह गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे वे पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करें। साथ ही आप उनका फुल बॉडी चेकअप करा सकते हैं।

2-घूमने का प्लान बनाएं

यहां पर आप अपनी मां को उनकी इच्छा के अनुरूप कोई मंदिर या तीर्थस्थल की सैर करा सकते हैं। इसके अलावा परिवार समेत आप परिवार के साथ एक या दो दिन के लिए घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। यहां पर सभी के साथ घूमने से मां को काफी अच्छा लगेगा।

3-घर पर करें डिनर प्लान
घूमने या गिफ्ट के तरीके के बाद आती है

खाने की बारी आप अपनी मां की पसंद का खाना खिला सकते हैं।

आप खाना बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इससे उन्हें अच्छा भी लगेगा। वैसे भी आजकल भागदौड़ के बीच कई लोगों को अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर समय बिताने का मौका नहीं मिल पाता है

सभी बीमारियों का तोड़ है स्माइल मुद्रा
थेरेपी, जानिए कैसे मिलता है इसका फायदा



भागदौड़ भरी ज़िंदगी में उचित खानपान, भरपूर व्यायाम और नियमित व्यायाम होना ज़रूरी होता है। कई बार इस तरह का फार्मूला जब बिगड़ जाए तो कई बीमारियों को जन्म देने का काम करता है। मन की एकाग्रता, आंतरिक शांति और सांसों के जरिए ओवरऑल हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए योग मुद्राएं की जाती हैं जो शरीर में एनर्जी और कई तरह की शारीरिक-मानसिक समस्याओं से राहत मिलती है। आज इन मुद्राओं में ही हम आपको स्माइल मुद्रा के बारे में जानकारी देंगे जो कई बीमारियों का रामबाण उपाय है। जानिए क्या होती है स्माइल मुद्रा हीलिंग थेरेपी

आपको बताते चलें कि, स्वास्थ्य विशेषज्ञ के अनुसार, योग की इन मुद्राओं में से एक स्माइल मुद्रा थेरेपेटिक और क्लीनिकल मुद्रा तकनीक है। जहां पर बीमारी के आधार पर हर मरीज को योग की मुद्राएं बताई जाती हैं। इस क्रिया के दौरान स्माइल मेडिटेशन भी बताई जाती है और स्माइल मुद्रा में व्यक्ति को उसकी बीमारी के हिसाब से कई तरह की मुद्राएं कराई जाती हैं और इस दौरान उनको ब्रीदिंग से लेकर स्माइल पर भी ध्यान देने को कहा जाता है। जानिए किन बीमारियों का करती है इलाज आपको बताते चलें कि, स्माइल मुद्रा हीलिंग थेरेपी कई तरह की बीमारियों का इलाज बताती है।

आरटीई संकट में: 15 साल बाद भी मुफ्त शिक्षा दूर का सपना बनी हुई है

महाराष्ट्र में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के 15 वर्ष पूरे होने के बावजूद इसके कार्यान्वयन में बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। 1 अप्रैल, 2010 को अधिनियमित इस अधिनियम का उद्देश्य सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करना था, लेकिन तब से इसे कई विवादों और संशोधनों का सामना करना पड़ा है।

मौजूदा मुद्दों को संबोधित करने के लिए, महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में मौजूदा आरटीई नियमों की समीक्षा करने और आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। राज्य शिक्षा आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में, समिति मौजूदा नियमों का विश्लेषण करेगी, सुधारों की सिफारिश करेगी और अदालत में लंबित स्कूल शुल्क प्रतिपूर्ति मामलों को संबोधित करेगी। सिंह ने कहा, 'हमने हाल ही में अपनी पहली बैठक की और अभी भी शुरुआती चरण में हैं। मैंने विशेषज्ञों और समिति के सदस्यों को आरटीई कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की एक सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। हमने हितधारकों से भी प्रतिक्रिया मांगी है। एक बार यह पूरा हो जाने के बाद, हम अपनी अगली कार्यवाही तय करने के लिए अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे।' एक ऐतिहासिक कानून होने के बावजूद, सिंह ने गुणात्मक कार्यान्वयन में अंतराल को स्वीकार किया, जबकि इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र ने मात्रात्मक दृष्टि से

प्रगति की है। वित्त पोषण में देरी, कानूनी लड़ाई आरटीई प्रवेश के लिए प्रतिपूर्ति में देरी के कारण निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर वित्तीय दबाव एक बड़ी चिंता है। 2025 की शुरुआत तक, सरकार पर 1800 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है, जिससे कुछ स्कूल आरटीई छात्रों से शुल्क लेने पर विचार कर रहे हैं - जो अधिनियम के मुफ्त शिक्षा के मुख्य वादे को खतरे में डालता है। कानूनी चुनौतियां भी सामने आई हैं। जुलाई 2024 में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों के नज़दीक निजी स्कूलों को आरटीई कोटे से छूट देने वाली सरकारी अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा, जिससे निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को वंचित छात्रों के लिए अपनी 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की बाध्म्यता को बल मिला।

विशेषज्ञों ने सरकार की आलोचना की शिक्षा अधिकार मंच, महाराष्ट्र की संयोजक शिक्षा कार्यकर्ता हेमांगी जोशी ने आरटीई के धीरे-धीरे कमजोर होने की आलोचना की। उन्होंने कहा, '2014 से, अधिनियम का कार्यान्वयन कमजोर हुआ है। भाजपा सरकार सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने के बजाय निजी संस्थानों का पक्ष लेती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में आरटीई का बमूश्किल उल्लेख है, जो सरकार की प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है।' जोशी ने शिक्षकों की बढ़ती संविदा

भर्ती के बारे में भी चिंता जताई, उनका तर्क था कि इससे नौकरी की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता होता है। उन्होंने नो डिटेनशन पॉलिसी की आलोचना करते हुए दावा किया कि इससे शैक्षणिक मानकों में गिरावट आई है। उन्होंने कहा, 'शिक्षकों की कम भर्ती, स्कूल बंद होना और संविदा भर्ती सभी इस बदलाव के परिणाम हैं।' आरटीआई कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने भी इसी तरह की भावनाओं को दोहराया, उन्होंने आरटीई जैसे कानूनों के प्रति भारत की उपेक्षा पर दुःख जताया। उन्होंने कहा, 'भ्रष्टाचार और प्रवर्तन की कमी हमारी कानूनी प्रणाली को प्रभावित करती है। ऐतिहासिक कानूनों के बावजूद, हम लगातार कार्यान्वयन में विफल होते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और ट्रांसपैरेंसी इंडेक्स में हमारी वैश्विक रैंकिंग इस विफलता को दर्शाती है।

आरटीई का उल्लंघन करने वाले स्कूल

मराठी शाला आपण टिकवल्या पाहिजेत के संयोजक प्रसाद गोखले ने आरटीई के स्पष्ट उल्लंघनों की ओर इशारा किया, जैसे बिना मान्यता के चल रहे स्कूल और योग्य छात्रों को प्रवेश देने से इनकार करना। उन्होंने निजी संस्थानों की तुलना में सरकारी और राज्य बोर्ड के स्कूलों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। महाराष्ट्र राज्य छात्र, अभिभावक और शिक्षक संघ के नितिन दलवी ने लगातार सरकारों पर

आरटीई नियमों को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, '2013 से, आरटीई उल्लंघन के लिए किसी भी स्कूल पर जुर्माना नहीं लगाया गया है। सैकड़ों अनधिकृत स्कूल चल रहे हैं, जबकि सरकारी अधिकारी उन्हें अनदेखा कर रहे हैं।' दलवी ने यह भी खुलासा किया कि छात्रों के परिणाम रोकने और फीस न चुकाने पर प्रमाण पत्र छोड़ने वाले स्कूलों को कोई दंड नहीं दिया गया है - जो आरटीई के तहत दंडनीय अपराध है।

खाली सीटें

कानून के इरादे के बावजूद, हर साल हजारों आरटीई सीटें खाली रह जाती हैं। 2023-24 शैक्षणिक वर्ष में, 94,700 सीटों में से 11,821 सीटें खाली रह गईं। 2024-25 में, यह संख्या बढ़कर 26,000 हो गई, जिससे प्रवेश प्रक्रिया में खामियां उजागर हुईं। बढ़ते दबाव के बाद, महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार आयोग ने हाल ही में राज्य शिक्षा निदेशक को मई 2025 तक 2025-26 के लिए आरटीई प्रवेश पूरा करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। एक 'पराजित अधिनियम' राज्यसभा सांसद और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री फौजिया खान ने दुःख जताया कि आरटीई के मूल सिद्धांतों से समझौता किया गया है। उन्होंने कहा, 'यूपीए सरकार ने सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरटीई की शुरुआत की थी। आज, 15 साल बाद भी, कई बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और

शिक्षण विधियों में सुधार नहीं हुआ है, और छात्र मुख्य रूप से दोपहर के भोजन के लिए जाते हैं।' खान ने स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) की विफलता पर प्रकाश डाला, जिनका उद्देश्य जमीनी स्तर पर आरटीई को बनाए रखना था। उन्होंने कहा, 'माता-पिता शायद ही कभी निर्णय लेने में शामिल होते हैं, जिससे अधिनियम का प्रभाव और कमजोर हो जाता है।' एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में चिंता जताई, 'आरटीई के लागू होने पर इसका जश्न मनाया गया, लेकिन कार्यान्वयन सबसे बड़ी बाधा बन गया-शीर्ष शिक्षा कार्यालयों से लेकर जिला अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन तक। पिछले कई वर्षों से गंभीरता की कमी स्पष्ट है।' 15 साल बाद भी राज्य में हजारों कोटा सीटें खाली हैं। उन्होंने कहा, 'ईडब्ल्यूएस कोटा सीटें चाहने वाले अभिभावकों को अभी भी उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्रामीण स्कूलों में ज़रूरी बुनियादी ढांचे की कमी है और कई स्कूल आरटीई की मंजूरी पाने में विफल रहे हैं। अधिनियम के पाँच साल बाद भी जो मुद्दे मौजूद थे, वे आज भी वैसे ही हैं। हालाँकि महाराष्ट्र ने हाल ही में प्रभावी शैक्षिक परिवर्तन पेश किए हैं, लेकिन अगर कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे बने रहे, तो वे भी विफल हो जाएंगे।

हाल ही के डेटा इन चिंताओं का समर्थन करते हैं। फरवरी 2025 तक,

महाराष्ट्र के निजी स्कूलों में 70,000 से ज्यादा आरटीई सीटें खाली हैं, जबकि 8,863 स्कूलों में 1,09,087 सीटों के लिए 3,05,152 आवेदन आए हैं। अपर्याप्त फंडिंग, खराब बुनियादी ढाँचा और योग्य शिक्षकों की कमी कार्यान्वयन में बाधा बन रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। आरटीई अधिनियम और नियमों में संशोधन

2010 में महाराष्ट्र में आरटीई अधिनियम लागू होने के बाद से इसमें कई संशोधन हुए हैं, फिर भी अधिकांश स्कूल वंचित छात्रों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण के इसके अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं। जनवरी 2025: 25 प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नए संशोधन; विनियमों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई। जून 2024: कक्षा V और VIII के लिए अनिवार्य परीक्षाएँ शुरू की गईं; असफल छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी या वर्ष दोहराना होगा। कक्षा V तक नामांकन आयु-आधारित रहेगा, लेकिन कक्षा VI-VIII के लिए अब कक्षा V की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। फरवरी 2024: यदि 1 किमी के भीतर कोई सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूल मौजूद है, तो निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 25 प्रतिशत कोटे से छूट दी गई। सरकारी स्कूलों में आरटीई सीटों को बढ़ाने के रूप में उचित ठहराए गए इस संशोधन को जुलाई 2024 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया।

चेंबूर एम पश्चिम के अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले !

मुंबई: चेंबूर के फेरीवालों के लिए चेंबूर से लेकर माहुल के गोदाम तक आतंक का पर्याय मनपा एम पश्चिम के अतिक्रमण निष्कासन विभाग के अधिकारी और उनके सहकर्मियों की बल्ले-बल्ले हो गई है। मौजूदा समय में उन्हें मनपा के वेतन से अधिक बाहरी कमाई हो रही है। इस बात की पुष्टी क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरा और उनके मोबाइल फ़ोन के अलावा उनसे मिलने के लिए कार्यालय में आते-जाते लोग हैं, और ये टीम कहां-कहां जाती है। ताजा वाक्या चेंबूर स्टेशन परिसर, सेल कॉलोनी, ठक्कर बाप्पा कालोनी और यहां की झोपड़पट्टी से जुड़ा है। इसके कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आये हैं। बात 21 फरवरी की है मनपा एम पश्चिम के अतिक्रमण निष्कासन विभाग और आरोग्य विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर पान बीडी की दुकानों से गुटखा मावा आदि जब्त किया गया था। लेकिन शाम यानि



अंधेरा होते-होते अधिकारियों व कर्मचारियों ने मोटी रकम लेकर सभी का माल वापस कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने रखा बरकरार गौरतलब है कि भारत सरकार और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को महाराष्ट्र सरकार ने बरकरार रखा है। इसके तहत गुटखा, पान मसाला आदि की बिक्री, भंडारण और उत्पादन

पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का तर्क है कि राज्य में बढ़ते कैंसर और प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण राज्य में मादक पदार्थों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में अगर कोई मादक पदार्थों का सेवन या बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उस पर एन डी पी एस के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यह

- भ्रष्ट कर्मचारियों के वेतन से अधिक होती है बहरी कमाई
- चेंबूर स्टेशन से माहुल गोदाम तक फैला है जाल

अपराध की श्रेणी में आता है। बावजूद इसके मनपा एम पश्चिम के दोनों विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने पान बीडी की दुकानों पर कार्रवाई की और बाद में मोटी रकम लेकर माल

वापस कर दिया, इसका मतलब साफ है कि यहां भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का बोल बाला है। यही कारण है कि मनपा एम पश्चिम, अतिक्रमण निष्कासन विभाग के अधिकारी और

उनके सहकर्मियों की कमाई दोगुनी हो गई है। उन्हें अपने वेतन से अधिक बाहरी कमाई से लाभ हो रहा है। लेकिन वे इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।

कौन है वसूलीबाजों का मास्टर माईन्ड ?

इस कड़ी में सबसे अहम बात यह है कि मनपा एम पश्चिम के अतिक्रमण निष्कासन विभाग में दो चार कर्मचारी लंबे समय से चेंबूर में इसी विभाग में कार्यरत हैं, जिसका लाभ उठाते हुए वे धड़ल्ले से वसूली करते हैं। वसूलीबाजों की सूची में सबसे पहला नाम सावंत का है, जो लंबे समय से इसी वार्ड में टिका हुआ है। इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी माने साहब हैं। सूत्रों की माने तो वसूली गई रकम में बंदरबांट होती है। चेंबूर स्टेशन से लेकर माहुल के गोदाम तक फैले भ्रष्टाचार का अंत कब होगा ? सूत्रों के आंकड़ों के अनुसार चेंबूर के आर सी मार्ग के फेरीवाले, पान - बीडी गुटखा आदि की दुकानों से इस विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को बतौर हफ्ता लगभग एक लाख मिलता है, इसी तरह एल टी टी, तिलक नगर, सेल कालोनी, ठक्कर बाप्पा कालोनी, वत्सलाताई नाइक नगर, सुमन नगर, लाल डोंगर, म्हाडा कॉलोनी आदि इलाकों से भी अतिक्रमण निष्कासन विभाग के अधिकारी और उनके मातहतों को अच्छी खासी कमाई होती है। बावजूद इसके मनपा एम पश्चिम विभाग के आरोग्य विभाग, मुंबई फूड एंड ड्रग्स और महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स विभाग क्यों खामोश है, सवाल तो उठता है ?

बेकर्स लकड़ी के ओवन से रूपांतरण के लिए 1 वर्ष का विस्तार मांगने के लिए उच्च न्यायालय जाएंगे



बेकर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने लकड़ी के ओवन को पाइपड नेचुरल गैस (पीएनजी) ओवन में परिवर्तित करने के लिए कम से कम एक वर्ष का विस्तार पाने के लिए अदालत में जाने का निर्णय लिया है। सोमवार को एसोसिएशन के सदस्यों ने विधान सभा सदस्य (एमएलए) रईस शेख के साथ नगर निगम प्रमुख भूषण गगरानी से मुलाकात की। इससे पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट (एचसी) ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को 8 जुलाई तक होटलों में कोयला मुक्त तंदूर और जलाऊ लकड़ी मुक्त बेकरी लागू करने का आदेश दिया था। सोमवार को बैठक के दौरान महानगर गैस के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। शेख ने कहा, महानगर गैस के अधिकारी मौजूदा बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने के

लिए पूरे शहर की मैपिंग करने पर सहमत हुए। उन्होंने कहा, रईसके अलावा, हमने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) के तहत 30 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए चर्चा की है। बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन के मुंबई दक्षिण डिवीजन के प्रमुख अशाफाक सिद्दीकी ने एकटेकसरी को बताया, रजलाऊ लकड़ी आधारित ओवन को पीएनजी में बदलने के लिए जो समय दिया गया था, वह बहुत कम है क्योंकि हमें ओवन बदलने की जरूरत है। हमने बीएमसी से इस मुद्दे को अदालत तक पहुंचाने का अनुरोध किया है। सिद्दीकी ने कहा, रईसके अलावा, हमने ओवन को पीएनजी आधारित ईंधन में बदलने के लिए एक साल की अवधि प्राप्त करने के लिए समीक्षा याचिका दायर

करने का फैसला किया है। हमने बीएमसी से [ईंधन पर] सब्सिडी प्राप्त करने में हमारी मदद करने का भी अनुरोध किया है। 22 अगस्त, 2024 को मिड-डे ने बताया था कि बॉम्बे एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप (बीईएजी) ने छह महीने के शोध में पाया है कि सर्वेक्षण में शामिल 200 पंजीकृत बेकरियों में से 47.10 प्रतिशत मुख्य रूप से ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करती हैं, मुख्य रूप से पुराने फर्नीचर और जीर्ण-शीर्ण इमारतों से प्राप्त लकड़ी के स्क्रैप के रूप में, लकड़ी की लकड़ी की तुलना में इसकी कम लागत के कारण लकड़ी का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की खपत करने वाली बड़ी बेकरियों ने प्रतिदिन 250 से 300 किलोग्राम लकड़ी का उपयोग करने की सूचना दी, जबकि लकड़ी से जलने वाली बेकरियों के लिए औसत लकड़ी की खपत लगभग 130 किलोग्राम प्रतिदिन थी। 20 किलोग्राम आटे को प्रोसेस करने के लिए लगभग चार-पांच किलोग्राम लकड़ी की आवश्यकता होती है। स्क्रैप लकड़ी की कीमत लगभग 4-5 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि लॉगवुड की कीमत 10-12 रुपये प्रति किलोग्राम है। लकड़ी से जलने वाली बेकरियों से उत्पन्न राख को अक्सर डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है।

राज्य उपभोक्ता अदालत में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं

वकीलों ने पीएमओ को लिखा पत्र

इंटरएक्टिव लॉयर्स एसोसिएशन फॉर विमेन (ILAW) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को एक पत्र लिखकर एक शिकायत की है, जो उनके अनुसार एक बुनियादी, मौलिक अधिकार के बारे में है - मुंबई में राज्य उपभोक्ता अदालत भवन में महिलाओं के लिए शौचालय की कमी। फरवरी को जारी और पीएमओ शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए पत्र की विषय पंक्ति इस प्रकार है: महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एससीडीआरसी) मुंबई परिसर में कर्मचारियों, वकीलों और वादियों के लिए महिलाओं के लिए शौचालय/वाशरूम। यह एक संक्षिप्त परिचय के साथ शुरू होता है और आगे कहता है, रहम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDR) के समक्ष मामले रखने वाली कई महिला अधिवक्ताओं और वादियों ने, जिसका कार्यालय और न्यायालय एलिफंस्टोन कॉलेज के बगल में पुराने सचिवालय भवन के भूतल पर है, S C D R C में अपर्याप्त शौचालय/शौचालय सुविधाओं के बारे में हमसे शिकायत की है। महिलाओं को तब भवन की पहली मंजिल पर शौचालय/शौचालय सुविधाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे फिर से पहली मंजिल के अन्य रहने वालों द्वारा



साझा किया जाता है। SCDRC और अधिवक्ताओं की कुछ महिला कर्मचारियों ने हमें अनुरोध किया है कि हम उनकी दुखद दुर्दशा और निरंतर असुविधा को आपके ध्यान में लाएं और उन्हें उनके कार्यस्थल के भूतल पर शौचालय/शौचालय प्रदान करने की बुनियादी सुविधा प्रदान करने में मदद करें, जो उनका मौलिक अधिकार और बुनियादी आवश्यकता है। इसमें लिखा है पत्र के अंत में तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। संयोजक अनीता शेखर-कैस्टेलिनो द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस साल जनवरी में उनके मंत्रालय कार्यालय में इसी तरह का पत्र लिखा गया था। कैस्टेलिनो ने कहा, उपभोक्ता न्यायालय जिस भूतल पर स्थित है, वहां कोई महिला शौचालय नहीं है। वहां एक लिफ्ट है, लेकिन कई लोगों के लिए शौचालय तक पहुंचने के

लिए पहली मंजिल पर जाना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि लिफ्ट व्यस्त रहती है। किसी भी दिन, राज्य उपभोक्ता न्यायालय में लगभग 50 व्यक्ति होने चाहिए। उपभोक्ता न्यायालय में महिलाओं के लिए उनकी मंजिल पर शौचालय होना चाहिए। इसमें वादी (कानूनी कार्रवाई करने वाला कोई भी व्यक्ति), कर्मचारी और वकील शामिल हैं। एक वकील मलाइका सी ने कहा, रयुवा लोग पहली मंजिल पर चढ़ सकते हैं, जो काफी ऊंची है, क्योंकि यह एक पुरानी इमारत है... हालांकि, यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। 8 मार्च को आने वाले महिला दिवस को धूमधाम और कई कार्यक्रमों के साथ मनाते हैं। फिर भी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जमीनी हकीकत अलग है और महिलाओं को स्वच्छता सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए अपील/विरोध करना पड़ता है, ILAW ने सामूहिक रूप से कहा।